FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मंगत राम बनाम लेखराज

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 02 सन् 2021

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.03.2021	प्रार्थी मंगत राम पुत्र भैरा राम बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 9 एस ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 50/46 के मु.न. 14 के 5.944 हैक्टर नहरी एंव मुरब्बा नम्बर 70/8 के 0.253 हैक्टर खाला कुल क्षेत्रफल 6.197 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय खाला के सम्बन्ध मे यदि अप्रार्थी या अन्य किसी भी काश्तकार द्वारा कोई वाद, स्थगन प्रार्थना पत्र या अन्य कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। इस सम्बन्ध मे अप्रार्थीगण को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे। S. D. O.	
२८/७/२१	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC को 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	